कार्यालय पुलिस नियन्त्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर

प्रेस नोट
(दिनांक 29.01.2025)
आयुक्तालय जोधपुर

श्रीमान राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु दिनांक 28.01.2025 को वक्त 9:00 पीएम से 11:00 पीएम तक चिन्हित स्थानों पर सघन नाकाबंदी के दौरान आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, अन्य एक्ट के तहत कार्यवाही करने का अभियान चलाया गया।

सायंकालीन पैदल गश्त एवं एवं रात्रि कालीन गश्त के दौरान सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों एवं शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालको के विरूद्ध व राजकोप ऐप पर संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो मिलान कर संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा बंपर लगे वाहनों, बिना नंबरी, काला शीशा लगे वाहनों के विरूद्ध एम.वी. एक्ट की कार्यवाही करने का अभियान चलाया गया।

पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जोधपुर में समस्त वृत सहायक पुलिस आयुक्तगण के नेतृत्व में समस्त पुलिस थानाधिकारीयों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, अन्य एक्ट के तहत कार्यवाही करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशों की पालना में समस्त वृत अधिकारीयों ने अपने-अपने क्षेत्र के सभी थाना अधिकारी एवं पुलिस बल को इस अभियान के संबंध में ब्रीफ कर अलग-अलग टीमें बनाकर ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया।

जिला पूर्व एवं जिला पश्चिम में आबकारी ,आर्म्स एक्ट व एनडीपीएस एक्ट के तहत निम्न थानों द्वारा कार्यवाही की गई -

1. पुलिस थाना सदर कोतवाली द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही में एक अभियुक्त पंकज पुत्र श्री मनोहर सिंह उम्मेद चौक जोधपुर को अवैध शराब के 14 पव्वे कब्जे में रखना व बेचना पाया जाने पर जब्त कर गिरफ्तार किया गया।

2. पुलिस थाना बासनी द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत राकेश पुत्र श्री प्रेम कुमार नटबस्ती बीजेएस हाल भोमियाजी कॉलोनी सांगरिया फाटा जोधपुर को बिना अनुज्ञा के अपने कब्जे में अवैध धारदार चाकू को रखना पाया जाने पर गिरफ्तार किया गया।

3. पुलिस थाना महामंदिर द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत मुरली पुत्र श्री मांगीलाल सांसी कॉलोनी भदवासिया जोधपुर को बिना अनुज्ञा के अपने कब्जे में अवैध धारदार चाकू को रखना पाया जाने पर गिरफ्तार किया गया।

एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस थाना भगत की कोठी द्वारा एक कार्यवाही तथा इसी प्रकार अभियान के अंतर्गत अन्य एक्ट में **03** कार्यवाही की गई।

सायंकालीन गश्त एवं रात्रि कालीन गश्त के दौरान कुल **240** संदिग्ध वाहन चेक किए गए तथा राजकोप ऐप पर कुल **143** संदिग्ध व्यक्तियों का फोटो मिलान के साथ 33 संदिग्ध व्यक्तियों का पर्चा 'बी' भरा गया तथा शराब पीकर वाहन चलाने वाले **25** वाहन चालकों का 185 एम.वी.एक्ट के तहत् **06** बंपर लगे वाहनों, **01** बिना नंबरी वाहनों व **05**काला शीशा लगे वाहनों का एम.वी.एक्ट के तहत् चालान तथा सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों का 60 पुलिस एक्ट में **52** कार्यवाही की गई।

आमजन से आग्रह है कि आपके आस-पास क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी, अनैतिक, अवैध शराब/मादक पदार्थ बिक्री व संदिग्ध व्यक्ति आदि की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष 100/112 व व्हाट्सएप नंबर 9530440800 पर सूचित करें।

प्रभारी
पुलिस नियंत्रण कक्ष,
आयुक्तालय जोधपुर